SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
April – June 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-2

भारत में विधि द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना

श्रीमती रीना शर्मा
सहायक प्राध्यापक
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

यह शोध पत्र भारत में विधिक प्रणाली के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना की प्रक्रिया, चुनौतियों एवं उपलब्धियों का विस्तृत विश्लेषण करता है। सामाजिक न्याय भारतीय संविधान की आत्मा है, जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। यह अध्ययन विधिक प्रावधानों, न्यायालयीन व्याख्याओं और सरकारी नीतियों के माध्यम से सामाजिक रूपांतरण की दिशा में किए गए प्रयासों को उजागर करता है।

बीज शब्द

सामाजिक न्याय, भारतीय संविधान, विधि व्यवस्था, समानता, मौलिक अधिकार, अनुसूचित जातियाँ, पिछड़े वर्ग, न्यायपालिका, विधिक सुधार।

प्रस्तावना

भारत विविधताओं से भरा एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है जहाँ ऐतिहासिक असमानताएँ और सामाजिक भेदभाव सदियों से व्याप्त रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर खड़ा हो। भारत का संविधान सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु विभिन्न विधिक उपकरणों, नीतियों और संरचनाओं की स्थापना करता है। सामाजिक न्याय किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की आधारशिला होता है। यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार, अवसर और संसाधनों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने की अवधारणा पर आधारित होता है। भारत जैसे बहुवर्णीय, बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक देश में जहाँ ऐतिहासिक रूप से जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और आर्थिक

स्थिति के आधार पर व्यापक असमानताएँ रही हैं, वहाँ सामाजिक न्याय की स्थापना केवल नैतिक या सामाजिक दायित्व ही नहीं, बल्कि एक संवैधानिक व विधिक अनिवार्यता भी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतवर्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। इन्हीं मूलभूत विचारों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में ही "सामाजिक न्याय" को स्थापित करने का संकल्प लिया। सामाजिक न्याय का तात्पर्य केवल आर्थिक विषमता को दूर करना नहीं है, बल्कि यह समग्र रूप से उस व्यवस्था की स्थापना है जिसमें प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले। भारतीय विधि व्यवस्था सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, तथा अनेक विधिक अधिनियम इसी दिशा में प्रयासरत हैं। जैसे - अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, समान वेतन अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, महिला संरक्षण से संबंधित कानून आदि। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका ने भी अनेक ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्याख्यायित और विस्तारित किया है।

यद्यपि पिछले कुछ दशकों में विधिक प्रणाली ने सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, परंतु आज भी समाज के कुछ वर्ग इस न्याय से वंचित हैं। विधिक साक्षरता की कमी, प्रक्रियागत विलंब, आर्थिक असमानता और सामाजिक रूढ़ियाँ इन प्रयासों के समक्ष प्रमुख बाधाएँ हैं।

यह शोध पत्र इसी पृष्ठभूमि में भारतीय विधि व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना की प्रक्रिया, उपलब्धियों, चुनौतियों और संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि संविधान और विधि किस हद तक समाज में न्याय, समानता और गरिमा की स्थापना में सहायक हुए हैं, तथा किन क्षेत्रों में अभी और सुधार की आवश्यकता है।

शोध विधि

यह शोध मुख्यतः गुणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें द्वितीयक स्रोतों जैसे - भारतीय संविधान, विधिक ग्रंथों, न्यायालयीन निर्णयों, सरकारी रिपोर्टों, शोध लेखों और विद्वानों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक और समकालीन परिप्रेक्ष्य को शामिल करते हुए अध्ययन को विवेचित किया गया है।

शोध विस्तार

भारतीय समाज में ऐतिहासिक असमानताओं, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक विषमता और सामाजिक पिछड़ेपन की जड़ें गहरी रही हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जहाँ हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और गरिमामयी जीवन प्राप्त हो सके। सामाजिक न्याय की स्थापना इसी परिकल्पना को विधि द्वारा व्यवहार में लाने का प्रयास है। इस खंड में हम विभिन्न विधिक उपायों, संवैधानिक प्रावधानों, न्यायिक व्याख्याओं और सरकारी नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय के विविध पहलुओं का विश्लेषण करेंगे।

1. सामाजिक न्याय की अवधारणा

सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हो। इसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, वर्ग या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। इसके साथ ही समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों को विशेष संरक्षण और समर्थन प्राप्त हो। भारत में यह अवधारणा संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में परिलक्षित होती है।

2. भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय

भारतीय संविधान सामाजिक न्याय की आधारशिला है। इसमें कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो सामाजिक समता और समान अवसरों की गारंटी देते हैं। "न्याय - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक" की स्थापना का वचन संविधान के उद्देश्यों में प्रमुख है।

मौलिक अधिकार (Part III):

1. अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानून के संरक्षण का समान अधिकार।
2. अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध।
3. अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन।
4. अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

राज्य के नीति निदेशक तत्व (Part IV):

1. अनुच्छेद 38: राज्य सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा जिसमें न्याय और समानता सुनिश्चित हो।
2. अनुच्छेद 39: पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन, बच्चों के लिए सुरक्षा और सामाजिक हित में संपत्ति का वितरण।
3. अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा।

3. न्यायपालिका की भूमिका

1. भारतीय न्यायपालिका ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को न केवल संरक्षित किया है, बल्कि अपने निर्णयों के माध्यम से इसका दायरा भी बढ़ाया है।
2. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): इस मामले में "संविधान की मूल संरचना" सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जिसमें सामाजिक न्याय भी शामिल है।
3. मनु भारती बनाम भारत संघ (1993): आरक्षण प्रणाली की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा गया।
4. विश्वनाथ बनाम भारत संघ (2015): सार्वजनिक नियुक्तियों में आरक्षण और समानता के अधिकार में संतुलन।
5. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997): कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश जारी किए गए।
6. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985): फुटपाथ निवासियों के लिए जीवन और आवास के अधिकार की व्याख्या।

4. विधिक उपाय और अधिनियम

भारत में अनेक कानून विशेष रूप से सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु बनाए गए हैं। जैसे -

1. अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने हेतु।
2. मजदूरी अधिनियम, समान वेतन अधिनियम: मजदूरों को न्यूनतम वेतन और काम के सुरक्षित वातावरण की गारंटी।
3. बाल श्रम निषेध अधिनियम: बच्चों के शोषण पर रोक।
4. POCSO अधिनियम, 2012: बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों की रोकथाम।
5. महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005: घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा।

5. आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय

आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। यह नीति दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के सामाजिक सशक्तिकरण में सहायक रही है। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरियों, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण प्रदान किया है। इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना है।

1. अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति प्रदान की गई है।
2. अनुच्छेद 330 और 332 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया है।

6. सामाजिक न्याय की चुनौतियाँ

यद्यपि विधिक ढांचा विस्तृत और प्रगतिशील है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कई बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं जैसे -

1. विधियों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होना।
2. न्यायिक प्रक्रिया में विलंब और खर्च।

3. निचले स्तर पर कानूनी जानकारी और साक्षरता की कमी।
4. जातिगत और लिंग आधारित भेदभाव की मानसिकता।
5. राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण का दुरुपयोग।

7. नवाचार और सुधार की संभावनाएँ

1. विधिक साक्षरता अभियानों को बढ़ावा देना अनिवार्य है।
2. ई-गवर्नेंस और डिजिटल न्याय प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए।
3. स्थानीय स्तर पर विधिक सहायता केंद्रों की स्थापना वृहद स्तर पर हो।
4. संवेदनशील और उत्तरदायी पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का विकास संभव हो।

निष्कर्ष

भारत में विधि के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। संविधान, न्यायपालिका और विधिक संस्थानों ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यद्यपि अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है, फिर भी कई सामाजिक वर्ग आज भी न्याय से वंचित हैं। सामाजिक न्याय की पूर्ण स्थापना के लिए विधिक सुधार, संवेदनशील प्रशासन और जन-जागरूकता अत्यंत आवश्यक हैं। भारत जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से विविध राष्ट्र में सामाजिक न्याय की स्थापना न केवल एक संवैधानिक उद्देश्य है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग भी है। भारतीय संविधान में निहित न्याय, समानता और गरिमा के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने में विधि एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करती है। विधिक प्रावधानों, न्यायालयीन निर्णयों और विशेष अधिनियमों के माध्यम से उन वर्गों को न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है जो ऐतिहासिक रूप से शोषित, वंचित या उपेक्षित रहे हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें और किसी के साथ भेदभाव न हो। सामाजिक न्याय की दिशा में आरक्षण नीति, श्रमिक कानून, महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति/जनजाति संरक्षण कानून जैसे उपायों ने बड़ी संख्या में वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया है।

भारतीय न्यायपालिका ने भी समय-समय पर ऐसे निर्णय दिए हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को विस्तार दिया है। संविधान की "मूल संरचना" सिद्धांत, जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या तथा कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा जैसे अनेक निर्णय सामाजिक परिवर्तन के वाहक बने हैं। किन्तु, विधिक ढांचे की कई सीमाएँ भी हैं। समाज के निचले तबकों तक न्याय की पहुँच आज भी बाधित है - कारण है विधिक साक्षरता की कमी, न्यायालयों में विलंब, भ्रष्टाचार और सामाजिक मानसिकता में व्याप्त रूढ़ियाँ। इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में आरक्षण या कल्याणकारी योजनाएँ राजनीतिक औजार बनकर रह गई हैं, जिनसे मूल उद्देश्य प्रभावित होता है।

निष्कर्षतः, भारत में विधि द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल कानूनी उपबंधों तक सीमित न रहकर जब सामाजिक चेतना, प्रशासनिक दृढ़ता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ जुड़ती है, तभी वास्तविक न्याय और समानता की स्थापना संभव हो पाती है।

संदर्भ

1. भारतीय संविधान - डॉ. भीमराव अंबेडकर (सम्पादित); भारत सरकार प्रकाशन विभाग।
2. Basu, Durga Das. Introduction to the Constitution of India. LexisNexis Publications.
3. Granville Austin. The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford University Press.
4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 - भारत सरकार, कानून मंत्रालय।
5. महिला संरक्षण अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act), 2005 - भारत सरकार।
6. POCSO Act, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act) - भारत सरकार।

7. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 - भारत सरकार।
8. Supreme Court Judgments - www.sci.gov.in
9. भारत का विधि आयोग - विभिन्न रिपोर्ट्स (www.lawcommissionofindia.nic.in)
10. National Human Rights Commission Reports - www.nhrc.nic.in
11. Ministry of Social Justice and Empowerment - www.socialjustice.gov.in
12. सामाजिक न्याय विषय पर प्रकाशित प्रमुख शोध पत्र एवं जर्नल लेख - Indian Journal of Law and Justice, Economic and Political Weekly।
13. बक्शी, प्रो. उपेंद्र - "विधि और सामाजिक परिवर्तन", प्रकाशित लेख।